पीठासीन अधिकारी श्री क0 राम यादव आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
206 / 2018	30.07.2018	28-5-19

उनवान

1. अनिल
2. सुनील पुत्रान स्व0 श्री सुमेरचन्द
3. सुशीला पुत्री स्व0 श्री सुमेरचन्द जाति मेघवाल निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर

प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 88, 89, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 319, 320 मिन 333 मिन जिसका हाल खसरा नं0 636 रकबा 0.45 है0 बना है। साबिक आराजी जरिये इन्तकाल संख्या 614 जतू पुत्र टेकूराम बहक सुमेरचन्द पुत्र रूपराम का अकंन आया जिस पर वादीगण के पिता सुमेरचन्द अपने जीवन काल में काबिज व दाखिल रहा है। यानि वक्त प्रार्दुभाव काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व से व जमीदारी, बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के समय से कब्जा काश्त बदस्तूर चली आ रही है । वादी के पिता के मरने के बाद हम वादीगण विधिक वारिसान काबिज दाखिल हो गये। बाई आपरेशन ऑफ ला वादीगण के पिता को स्वतः ही हकूक खातेदारी प्राप्त हो गये। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने जमाबन्दी सवंत 2029 में हाल खसरा नम्बर 636 रकबा 0.45 है0 में 0. 19 है0 में खातेदारी का अकंन कर दिया तथा 0.25 है0 में पट्टेदार का अकंन कर दिया जबकि सेटिलमेन्ट अधिकारियों को 0.25 है0 का भी खातेदारी का अकंन करना चाहिये था। प्रतिवादी के समक्ष वादीगण ने उक्त आराजी 636 में 0.25 है0 पर खातेदारी दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु दिनांक 20.7.2018 को प्रतिवादी ने खातेदारी देने से इन्कार कर दिया व भूमि को सिवायचक करने की धमकी दी। अतः वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 636 हाल खसरा नम्बर रकबा 0.25 है0 का भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे आराजी को सिवायचक घोषित नहीं करे रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वाद के सा

Faisla 1 Page 118

सूची अनुसार दस्तावेज की नकले सलंग्न की व धारा 80 (20) सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र पृथक से सलंग्न किया।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी जवाब दावा पेश नहीं किया। अतः प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि पत्रावली में शामिल दस्तावेजात का ही बतौर साक्ष्य वादी अवलोकन फरमावे वे और साक्ष्य पेश नही करना चाहते है सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया बहस वकील वादी पर मनन किया। शामिल मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि आराजी हाल खसरा नम्बरान 319, 320 मिन 333 मिन से बना है जिसमें से वादीगण के पिता के नाम 0.19 है0 का खातेदारी कर अकंन हो गया शेष 0.25 है0 का पट्टेदार का अकंन हुआ। उक्त आराजी पर वादीगण के पिता सुमेरचन्द व उसकी मृत्यु पश्चात पादीगण कब्जे काश्त है। राजस्व रेकार्ड हाल में वादीगण के नाम का अकंन हो रहा है तथा वादीगण द्वारा आराजी के खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादीगण के कब्जे की पुष्टि रिपोर्ट पटवारी से होती है परन्तु भूमि कस्टोडियन होने के कारण वाद न्यायालय हाजा में सुनवाई योग्य नहीं है।

अतः प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत रिपोर्ट पटवारी आदि के आधार पर विवादित आराजीयात हाल खसरा नं0 636 में रकबा 0.25 है0 जिसका वादीगण के पक्ष में पट्टेदार का अकंन है पर वादीगण अनिज, सुनील, मिन सुमेरचन्द व सुशीला पुत्री सुमेरचन्द मेघवाल निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर का कब्जा होना सत्यापित किया जाता है एवं आराजीयात कस्टोडियन होने के कारण वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)